सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आषाढ़ 16, बुधवार, शाके 1943–जुलाई 7, 2021 *Asadha 16, Wednesday, Saka 1943- July 7, 2021*	

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 07, 2021

संख्या प.12(7)नविवि/2021 :-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 1959) की धारा 32 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि नगर विकास न्यास, बीकानेर ने न्यास की ग्राम बीछवाल के खसरा नम्बर 55 में आवासीय/औद्योगिक, मास्टर प्लान भू-उपयोग अनुसार योजना विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना की सीमायें निम्नानुसार हैः-

पूर्व - उरमूल डेयरी

पश्चिम - आई.जी.एन.पी. ऑफिस एवं कॉलोनी

उत्तर - मुख्य सड़क आई.जी.एन.पी. कॉलोनी 150 फीट

दक्षिण - गंगानगर रोड़ से लालगढ़ रेल्वे क्रॉसिंग को जाने वाली 100 फीट सड़क

उपरोक्त योजना का अनुमानित क्षेत्रफल 4.8161 हैक्टयर है। योजना का विवरण और मानचित्र नगर विकास न्यास बीकानेर के कार्यालय में उपलब्ध है। जिसकों किसी भी कार्य दिवस में सायंकाल 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है।

उक्त योजना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 6 माह तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,
त्रिभुवनपति,
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय।

3512

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।